



सौर ऊर्जा से खेती भी! आमदनी भी!

राज्य के किसानों के लिए सुनहरा अवसर!

फीडर सोलराइजेशन योजना (पीएम कुसुम योजना) के तहत राज्य में किसान सौर ऊर्जा से सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर अपने खेतों में सोलर प्लांट लगाने में मदद कर रही है।

योजना के फायदे:

- **बिजली पर बचत:**
सौर ऊर्जा से सिंचाई करने पर बिजली का खर्च काफी कम होगा।
- **सरकार की ओर से उपलब्ध सब्सिडी:**
योजना के तहत 1.5 crore/MW तक सब्सिडी और आसान ऋण सुविधा उपलब्ध है।
- **पर्यावरण संरक्षण:**
सौर ऊर्जा से प्रदूषण कम होगा।
- **अतिरिक्त आय का श्रोत:**
सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली को बेचकर किसान अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। अपनी जमीन पट्टा (लीज़) पर दे कर भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

*** इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसान काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।**



हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें और विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं, नीतियों और जानकारीयों से जुड़ें।
जुड़े रहें, जागरूक बनें!

@BiharEnergy

@energybihar

@EnergyBihar

हमारा आधार... ऊर्जास्वित बिहार